रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2015] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 2016/श्रावण 20, 1938
No. 2015] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 2016/SRAVANA 20 , 1938

IndiaCode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2016

का.आ. 2694(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 977 (अ), तारीख 20 अप्रैल, 2009 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 380.000 कि.मी. से 440.000 कि.मी. (पिंपलगांव–नासिक–गोंडे सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा था;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क संग्रहण करने हेतु सा. का.नि. 838, (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और इनमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, .2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21 नवम्बर 2014 और सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23 मार्च 2015 द्वारा संशोधन किए हैं;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 380.000 कि.मी. से 440.000 कि.मी. (पिंपलगांव–नासिक–गोंडे सेक्शन) तक के विद्यमान दो लेन के सेक्शन का डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर, छह लेन के विभाजित सड़क मार्ग में डिजाइन, इंजीनियरी, वित्त, निर्माण, विकास, प्रचालन और अनुरक्षण हेतु मैसर्स एलएण्डटी पीएनजी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय पी. ओ. बॉक्स 979, माउण्ट पूनामूल्ली रोड, मणपक्कम, चेन्नई–600089 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् रियायतग्राही संदर्भित किया गया है), के साथ करार किया है।

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. संख्या 2096 (अ), तारीख 19.09.2011 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर 380.000 कि.मी. से 440.000 कि.मी. तक पिंपलगांव–नासिक–गोंडे सेक्शन खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर, प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से, करार में यथा–विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक, बीओटी (टोल) आधार

पर, शुल्क को उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने हेतु रियायतग्राही, मैसर्स एलएण्डटी पीएनजी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई को प्राधिकृत किया था।

और यतः, प्राधिकरण द्वारा 29.03.2016 को बीओटी रियायत करार को समाप्त कर दिए जाने के कारण, बीओटी रियायत करार को समाप्त कर दिए जाने के कारण, बीओटी रियायत पर रोक लगा दी गई थी। बीओटी रियायत करार को समाप्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तारीख 19.09.2011 का रियायत करार। शुल्क अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ताशुल्क का संग्रहण जारी रखे हुए है। तथापि, इस शुल्क अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस शुल्क अधिसूचना के अधीन प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ताशुल्क का संग्रहण करेगा।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, समय–समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008(जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या का.आ. 2096 (अ), तारीख 19.09.2011 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाए उन बातों के जो ऐसे अतिक्रमण से पहले कर ली गई हों अथवा करने से लोप करा दी गई हो, एतद्द्वारा सड़क की कुल समकक्ष लम्बाई 123.98 कि.मी. (जिसमें 52.870 कि.मी. सड़क और 7111 मीटर की संरचनाएं जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है की समकक्ष लम्बाई 71.11 कि.मी. शामिल है) हेतु महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर चार या अधिक लेन के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर(जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आधार दर'' संदर्भित किया गया है) शुल्क लगाती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थातः–

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भां.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

(1) नीचे उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित फीस (प्लाजाओं) पर, ऐसे प्रत्येक फीस प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगाः

फीस प्लाजाओं का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
नासिक जिले में पिंपलगांव (ख) गांव के पास रारा–3 का 390.450 कि.मी.	52.870* (नीचे पैरा 2 में उल्लिखित संरचनाओं की 7111.00 मीटर लम्बाई को छोड़कर)

* इस समय 48.050 कि.मी. की पूरी कर ली गई लम्बाई के लिए शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा। बकाया लम्बाई का निर्माण पूरा किए जाने के बाद, पूरी लम्बाई के लिए शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित फीस प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

फीस प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने वालीसंरचनाओं* की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)
नासिक जिले में पिंपलगांव (ख) गांव के पास रारा–3 का 390.450 कि.मी.	7.111	71.11

* ब्यौरा निम्नप्रकार है:—

रारा—3 के 390.450 कि.मी. पर पिंपलगांव (बी) फीस प्लाजा

	चैनेज		लम्बाई (मीटर)
	कि.मी से	कि.मी तक	
1	382.764	382.827	63.000
2	385.207	385.532	325.000
3	390.823	390.969	146.000
4	396.564	396.645	81.000
5	408.395	408.484	89.00
6	413.312	418.460	5148.000
7	419.661	420.018	357.000
8	421.971	422.407	436.000
9	424.062	424.528	466.000
			7111.00

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर—वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह फीस प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2016—17 के लिए मासिक पास की दर 235.00 रूपए (दो सौ पैंतीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो—तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5 जिस जिले में फीस प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेष कराने के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसे यांत्रिक वाहन के लिए लागू शुल्क के दस गुणा के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा, और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए ।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी—1 में यथा—उल्लिखित, आधार वर्ष 2007—08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना खण्ड के पूरे कर लिए भाग की लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम—से'—कम एक—एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1058.79 करोड़ रुपए (एक हजार अट्ठावन करोड़ उनासी लाख रुपए मात्र है। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गये शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद, लगाए गए शुल्क की दरों को घटाकर40: कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा।

[भाराराप्रा / 13013 / 621 / 16—17 / सीओ / जीसी—पिंपलगांव—नासिक—गोंडे]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2016

S.O. 2694(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 977 (E), dated the 20th April, 2009, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government entrusted the stretch from km 380.000 to km 440.000 (Pimplegaon-Nashik-Gonde Section) of National Highway No. 3 in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th Dec, 2008, and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October,2011 and G.S.R 778 (E) dated 16th December,2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R 831(E) dated 21st November,2014 and G.S.R 220(E) dated 23rd March, 2015 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement with M/s L&T PNG Tollway Private Limited, having its registered office at P.O. Box 979, Mount Poonamallee Road, Manapakkam, Chennai – 600089 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for Design, Engineering, Finance, Construction, Development, Operation and Maintenance of the existing two lane section from km 380.000 to km 440.000 (Pimplegaon-Nashik-Gonde Section) of National Highway No. 3 in the State of Maharashtra to six lane divided carriageway on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Basis.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India vide S.O. No. 2096 (E) dated 19.09.2011 authorized the Concessionaire M/s L & T PNG Tollway Private Limited, Chennai, for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of the stretch from Pimplegaon-Nashik-Gonde section from km 380.000 to km 440.000 on National Highway No. 3 in the State of Maharashtra on BOT (Toll) basis on and from the Date of Commercial Operation declared by the Authority and till the termination date as specified in the Agreement.

And whereas, the BOT Concession Agreement was foreclosed on account of termination of BOT Concession Agreement by the Authority on 29.03.2016. Consequent upon termination of BOT Concession Agreement, NHAI is continuing the user fee collection as per provisions in Concession Agreement/Fee Notification dated 19.09.2011. However, w.e.f. date of publication of this fee notification, NHAI shall collect user fee as per provisions under this fee notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), and in supersession of the notification number S.O. 2096 (E) dated 19.09.2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table 1 for total equivalent road length of 123.98 km [including 52.870 km road and 7111 m of structures (having length more than 60m) with equivalent length of 71.11 km] for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") on National Highway No. 3 in the State of Maharashtra on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three – axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi	3.45

Axle Vehicle (MAV) (four to si\x axles)	
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plazas for the distance specified for each such Fee Plaza:

Location of Fee Plazas (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 390.450 of NH-3, near village Pimplegaon(B) in Nashik District	52.870* (Excluding 7111.00 m length of structures indicated in Para-2 below)

*** At present, the fee shall be levied and collected for the completed length of 48.050 km.** After completion of construction in balance length, the fee shall be levied and collected for the length as completed.

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**
Km 390.450 of NH-3, near village Pimplegaon(B) in Nashik District	7.111	71.11

* The details are as under:-

Pimplegaon(B) Fee Plaza at km 390.450 of NH-3

	Chainage		**Length (m)**
	From Km	**To Km**	
1	382.764	382.827	63.000
2	385.207	385.532	325.000
3	390.823	390.969	146.000
4	396.564	396.645	81.000
5	408.395	408.484	89.000
6	413.312	418.460	5148.000
7	419.661	420.018	357.000
8	421.971	422.407	436.000
9	424.062	424.528	466.000
			7111.00

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 235.00 (Rupees Two Hundred Thirty Five only) for the year 2016-17, and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.

IndiaCode

6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said Rules.

9. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the sections and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

10. The present value of Capital Cost of the Project is Rs. 1058.79 Crore (Rupee One Thousand Fifty Eight crore and Seventy Nine lakh only). The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[NHAI/13013/621/16-17/CO/GC-Pimplegaon-Nashik-Gonde]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.